ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :—

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत थानाकलां के विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति उर्मिला देवी	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्री रेखा देवी	23.1.2016 से अद्यतन

सचिव :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	1.4.2013 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत थानाकलां के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	अनुदानों का उपयोग न करना	7.26
2.	7	पंचायत राजस्व गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष	0.28
3.	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक, स्टोर का क्रय	4.41

4.	11	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	4.41
5.	12	क्रय किए गए 2662 सीमेंट बैग की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व सामग्री उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना	6.24
6.	13	खाता (ख) के अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.83

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 23.6.2016 से 27.6.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 10/13, 9/14, 2/16 व 10/13, 12/14, 11/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 179, दिनांक 24.6.2016 द्वारा सचिव पंचायत थानाकलां से अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत थानाकलां के पत्रांक संख्या : 104, दिनांक 27.6.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत थानाकलां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत थानाकलां के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	454958.05	213877	668835.05	45961.50	622873.55
2014–15	622873.55	143353.20	766226.75	131193	635033.75
2015–16	635033.75	118385	753418.75	148514.50	604904.25

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत थानाकलां के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	659520.20	3387795	4047315.20	2331328	1715987.20
2014–15	1715987.20	1974970	3690957.20	3074162	616795.20
2015–16	616795.20	3321382	3938177.20	3212239	725938.20

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत थानाकलां द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

(i)	रोकड़ वही खाता–क पैरा 4(1) का अन्तशेष	604904.25
(ii)	रोकड़ वही खाता–ख पैरा 4(2) का अन्तशेष	725938.20
	कुल योग	**₹1330842.45**

<u>अन्तशेष का विवरण :–</u>

क्र0 सं0	बैंक का नाम	बचत खाता सं0	राशि (₹)
1.	के0सी0सी0बी0 थानाकलां	20182001358	1075543.80

2.	–यथोपरि–	20182001369	226093
3.	पी0एन0बी0 थानाकलां	1723000100081120	24918.50
4.	–यथोपरि–	1723000100082156	141
5.	–यथोपरि–	1723000100081573	597
6.	डाकघर बंगाणा	2400176	1891.95
7.	हस्तगत रोकड़ सभा फण्ड	–	580
	हस्तगत रोकड़ सामान्य फण्ड	–	1077.20
		कुल योग	**₹1330842.45**

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. अनुदान ₹7.26 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹725938 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. पंचायत राजस्व ₹28300 का वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

(i) ग्राम पंचायत थानाकलां द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार राजस्व गृहकर ₹28300 की वसूली दिनांक 31.3.2016 तक निम्न विवरणानुसार शेष थी। अतः गृहकर के राजस्व की बकाया वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013—14	37660	12720	50380	46400	3980
2014—15	3980	12720	16700	—	16700
2015—16	16700	12720	29420	1120	28300

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों से संस्थापन प्रभार व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे :—

सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत थानाकलां की परिधि में चार कम्पनियों के मोबाइल टावर स्थापित थे, जिनमें से केवल एक कम्पनी एयरटैल द्वारा ही वार्षिक नवीनीकरण शुल्क अदा किया गया है व बाकी शेष तीन कम्पनियों द्वारा न तो संस्थापन प्रभार अदा किए हैं व न ही वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ग्राम पंचायत को अदा किया जा रहा है। अतः नियमानुसार सम्बन्धित मोबाइल टावर कम्पनियों से संस्थापना शुल्क एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक वर्ष निर्धारित दरों पर वसूले जाने सुनिश्चित किए जाएं व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9. विहित रजिस्टरों का रख—रखाव न करना :—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का

रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मंग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 26	72 (1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

10. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.41 लाख के स्टॉक, स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹440572 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई ₹4.41 लाख की मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय/प्राप्त किए गए स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने की प्रविष्टियों की जानी अपेक्षित हैं। व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–'2'(क से ग) में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹440572 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति

प्रविष्टियां व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं किया गया। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए स्टोर (सामान) के किसी भी दुरूप्योग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः स्टॉक/स्टोर को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए।

12. क्रय किए गए 2662 सीमेंट बैग ₹6.24 लाख की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना :–

सचिव ग्राम पंचायत थानाकलां द्वारा प्रदान की गई सूचना परिशिष्ट–3 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान विभिन्न कार्यों हेतु 2662 सीमेंट बैग क्रय करने हेतु ₹623959 का व्यय किया गया, लेकिन उक्त क्रय किए गए सीमेंट की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय किए गए स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/जारी करने की प्रविष्टियों दर्ज की जानी अपेक्षित थी। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए सीमेंट के दुरूप्योग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. खाता (ख) के ब्याज ₹0.83 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, मास : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है व अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राशि को स्वयं संसाधनों के खाता (क) में ₹83447 अन्तरित नहीं किया गया। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व निम्नानुसार खाता (ख) से अर्जित ब्याज को खाता (क) स्वयं संसाधनों में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	अनुदान/शीर्ष का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16	कुल योग
1.	आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III	13858	16471	–	30329

2.	मनरेगा	2180	166	–	2346
3.	योजना	13297	22081	15394	50772
	योग	**₹29335**	**₹38718**	**₹15394**	**₹83447**

14. प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹6366 का अधिक व्यय :–

ग्राम पंचायत थानाकलां के सचिव द्वारा प्रदान की गई अनुदानों की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार ₹6366 की राशि ऋणात्मक दर्शाई गई है, जोकि अन्य योजना के व्यय का लेखांकन 13वें वित्त, बी0के0वी0एन0वाई0 व एस0डी0पी0 अथवा किसी अन्य योजना से 13वें वित्त वी0के0बी0एन0वाई0 व एस0डी0पी0 का भुगतान करने के फलस्वरूप है। अतः उक्त अनियमितता का निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अनुदानों के रूप में ऋणात्मक दर्शाई गई राशियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	अनुदान का नाम	राशि
1.	13वें वित्त (पी0एस0)	1455
2.	वी0के0वी0एन0वाई0	4894
3.	एस0डी0पी0	17
	कुल योग	**₹6366**

15. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम, 2002 की धारा–4 के अनुरूप लेखों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा–4 के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत थानाकलां द्वारा नहीं किया गया है, जबकि उक्त नियम के अनुसार ग्राम पंचायत को अपनी आय के स्त्रोत हेतु खाता–'क' व अनुदान विशेष प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों हेतु अलग से खाता–'ख' खोला जाना अनिवार्य था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय के स्त्रोत हेतु खाता–'क' में ही प्राप्त अनुदानों को भी दर्ज किया जा रहा है, जोकि नियमों के विपरीत है। अतः अपने आय के स्त्रोत हेतु खाता–'क' व अनुदान विशेष प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों हेतु खाता–'ख' खोला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत थानाकलां द्वारा नहीं किया

गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत थानाकलां के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अनिवार्य है व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों पर लागू होती है। आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. माप पुस्तिका में सामान खपत विवरणी तैयार न करना :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत थानाकलां में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूपये की सामग्री, जैसे कि रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट व ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी, क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

19. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

21. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रोकड वहियों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के अध्याय–2 नियम–4 के अनुरूप रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v)2/2016, खण्ड–1–5156–5159 दिनांकः 27.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी थानाकलां, जिला ऊना हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत थानाकलां, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.